बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :– 2/अ0प्र0–4–35/2015 621 /पटना, दिनांक :– 25.2.2020

श्री दीनबंधु पाठक, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध भवन प्रमंडल, नवादा में पदस्थापन अवधि में गया जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय सम विकास योजना मद् से प्रोजेक्ट बंशी शंकर बालिका उच्च विद्यालय के भवन निर्माण कार्य में भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–3926 अनु० दिनांक 23.11.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसके निमित्त श्री कमलेश चौधरी, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री उज्जवल कुमार सिंह, सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

2. श्री पाठक विरूद्ध दो आरोप गठित गठित किये गये। आरोप संख्या–1 कमरे में प्रावधानित तीनों बीमों में **Vertical Crack** पाये जाने, दिवाल पर किया गया प्लास्टर विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये जाने, दिवाल और फ्लोर के किनारे चारों तरफ **mazor crack** पाये जाने, फ्लोर का निर्माण विशिष्टियों अनुरूप नहीं पाये जाने, छत एवं बीम में लूज कंक्रीट पाये जाने एवं **Fan Hook** प्रावधानित 16 **mm dia** के बजाय 6 **mm dia** पाये जाने आदि से संबंधित है। आरोप संख्या–2 भवन निर्माण कार्य के पुनर्निर्माण पर सरकार को होने वाली वित्तीय क्षति रू0 5,26,908.13/– से संबंधित है।

3. कार्यालय आदेश ज्ञापांक–140 दिनांक 20.01.2017 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री कमलेश चौधरी, अभियंता प्रमुख के स्थान पर श्री के0 एन0 प्रसाद, अभियंता प्रमुख को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। श्री के0 एन0 प्रसाद, अभियंता प्रमुख के सेवानिवृत होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक–572 दिनांक 24.03.2017 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री शंकर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। श्री शंकर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख के सेवानिवृत होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1041 दिनांक 11.05.2018 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

4. श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 22 अनु0 दिनांक 31.01.2019 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री पाठक के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री पाठक से विभागीय पत्रांक 1483 अनु0 दिनांक 29.05.2019 द्वारा अंशतः प्रमाणित आरोपों पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. इस बीच श्री पाठक के दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध अधिसूचना ज्ञापांक–3926 अनु० दिनांक 23.11.2015 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना ज्ञापांक–2880 दिनांक 04.10.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

7. श्री पाठक द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक 25.06.2019 समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि निर्माण कार्य संबंधित कार्यपालक अभियंता की देख रेख में कराया गया था, इसलिए सुपर विजन के लिए कार्यपालक अभियंता ही दोषी होंगे। प्रश्नगत् भवन निर्माण की जॉच में सम्मलित सदस्यों से प्रति परीक्षण का अवसर नहीं दिया गया। जॉच प्रतिवेदन के साथ किसी प्रतिष्ठित जॉच प्रयोगशाला का जॉचफल संलग्न नहीं रहने के कारण जॉच प्रतिवेदन दोषपूर्ण है। भवन निर्माण विभाग के एकतरफा जॉच प्रतिवेदन के आधार पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

8. श्री पाठक के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी और पाया गया कि श्री पाठक के विरूद्ध गठित आरोपों में कमरे के दीवाल में क्रेक पाये जाने, **Shutter** की मुटाई कम पाये जाने एवं **Fan Hook** में **16mm** के स्थान पर **6mm** पाये जाने का आरोप है, जिसके लिये श्री पाठक सहायक अभियंता के रूप में पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के लिये दोषी है। अतएव श्री पाठक का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री पाठक द्वारा दिये गये द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत पेंशन से अगले 10 (दस) वर्षो तक 10 (दस) प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. श्री पाठक के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 3758 अनु0 दिनांक 31.12.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 3005 दिनांक 14.02.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री दीनबंधु पाठक, तदेन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत पेंशन से अगले दस वर्षो तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/2/2020

(मनोज कुमार)

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–35/2015 622 /पटना, दिनांक :– 25.2.2020

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी० डी० के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/2/2020

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–35/2015 622 /पटना, दिनांक :– 25-2-2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सासाराम को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–35/2015 622 /पटना, दिनांक :– 25-2-2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 3005 दिनांक 14.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–35/2015 622 /पटना, दिनांक :– 25-2-2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अचंल, सासाराम/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सासाराम/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री दीनबंधु पाठक, तदेन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पता–मोहल्ला–वन्धु भवन कलब रोड, पोस्ट–औरंगाबाद, थाना–औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद, पिन कोड–824101, मोबाईल नम्बर–7070552699/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
24/2/2020